क्षे.अं.कें.,बुड़िया / क्रमांक / 24 / 1101—40
दिनांक 19.03.2024

खुली बोली सूचना

क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र (बागवानी) चौ.च.सिं. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय बुड़िया (यमुनानगर)

सर्व—साधारण को सूचित किया जाता है कि चौ.च.सिं. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र (बागवानी), बुड़िया, यमुनानगर से निम्नलिखित पौधों (केवल फल) की खुली बोली **06.4.2024 को 11.30 पूर्वाहन** पर की जाएगी।

फलदार पौधों का विवरण —

नं.	पौधों के नाम	क्षेत्र एकड़ में
1.	आम	7.0
2.	लीची	4.0
3.	लोकाट	2.0
4.	चीकू	2.0
5.	आड़ू	2.0
6.	अलूचा	2.0
7.	नाशपाती	2.0
8.	अमरुद	1.5
	कुल क्षेत्र	**22.5 एकड़**

नियम व शर्तें—

1. प्रत्येक बोली दाता को धरोहर राशि के रुप में 50,000 (पचास हजार) रुपये जमा करवाने होंगे।
2. सफल बोलीदाता को एक चौथाई राशि तीन दिन के अंदर जमा करवानी होगी। यदि बोली दाता पहली किश्त बोली के तीन के भीतर जमा नहीं करवाता तो धरोहर राशि / अग्रिम राशि वापिस नहीं दी जाएगी और ठेका अगले उच्च बोलीदाता को दे दिया जाएगा।
3. किस्त समय पर न देने पर फलों की तुड़ाई तुरंत बंद कर दी जाएगी और ठेकेदार जब तक किस्त नहीं जमा करवाता, फल नहीं तोड़ने दिए जायेंगे। अगर किश्त समय पर नहीं दी तो उस पर 15 प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा। यदि इंचार्ज ठेकेदार से संतुष्टन हीं है, तो वह उसे हटा भी सकते हैं।
4. सफल बोली दाता को नीलामी के 10 दिन के भीतर 100 / —रुपये के स्टांप पेपर पर नीलामी की शर्तों का एग्रीमैंट देना होगा और साथ काम करने वाले सदस्यों के पासपोर्ट साईज फोटा और पता ऑफिस में जमा करवाना होगा।
5. फसल की देखरेख की रखवाली ठेकेदार की अपनी होगी। वह घास और लकड़ी फार्म से नहीं ले जा सकता।
6. ठेकेदार के साथ कोई भी व्यक्ति ईंचार्ज की अनुमति से ही रह सकता है। उसके द्वारा किए गए नुक्सान की भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।
7. किसी प्राकृतिक क्षति, बीमारी, कीड़े, बारिश, हवा, ओले इत्यादि के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
8. बाग की सिंचाई ठेकेदार को खुद करनी होगी और वह बिजली की उपलब्धता व नलकूपों के ठीक होने पर निर्भर करेगी।
9. बाग में रहने का प्रबंध ठेकेदार को स्वयं झोपड़ी बनाकर करना होगा। वह बाग में कोई पशु इत्यादि नहीं रख सकता और न ही कोई फसल बो सकता है।
10. बाग में किसी बीमारी या कीड़े के प्रकोप होने पर ठेकेदार विभाग की अनुमति से ही छिड़काव करेगा और दवाई ठेकेदार की अपनी होगी।
11. शोध कार्य के लिए स्टाफ बिना रोक टोक घूम सकता है और सैंपल ले सकता है तथा रिसर्च के लिए जीनस देनी होगी जो कि मौके पर बता दी जाएगी।
12. ठेकेदार को बाग 30.9.2025 तक मान्य होगा। अन्य शर्तें मौके पर बताई जाएंगी।
13. किसी कारणवश बोली नीलामी की तिथि कभी भी आगे के लिए टाली जा सकती है।
14. अगर उच्चतम बोली से विभाग संतुष्ट नहीं है तो नीलामी बोली रद्द कर दी जाएगी तथा यह ऑफिस इस कारण से किसी को हुए नुक्सान की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता।

प्रतिलिपि

1. कंप्यूटर वैबसाईट, चौ.च.सिं.ह.कृ.वि., हिसार।
2. अनुसंधान निदेशक,चौ.च.सिं.ह.कृ.वि., हिसार।
3. कम्पट्रोलर, चौ.च.सिं.ह.कृ.वि., हिसार।
4. जिला उद्यान अधिकारी, यमुनानगर, छछरौली।
5. सभी ठेकेदार, सरपंच बुड़िया और आसपास के गांव।
6. नोटिस बोर्ड।

19/3/2024

वरिष्ठ वैज्ञानिक
क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र (बागवानी),
बुड़िया, यमुनानगर।